2A/2

पत्रावली सं0 20/2021 ..... सरकार बनाम रामेश्वर सिंह .....

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
15/02/2021	आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री रामेश्वर सिंह, गोपाल सिंह, काला सिंह पुत्र श्री स्व. कश्मीर सिंह जाति राजपूत निवासी 44PS में फसल रबी/खरीफ सम्वत्/सन् 2022 में गांव/चक नं0 4BWSM के मु0 नं0 1 2.53 / 326 में ..... बीघा सिंचित व 5.819 ई0 असिंचित कुल 5.819 ई0 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है। अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते है तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी राशि रू0 2328 अखरे रू0 दो हजार तीन सौ अठाइस रुपये मात्र अधिरोपित की जाती है। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुदा फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी0 आर0 ए0 को पेनल्टी की मांग कायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावें। उप तहसीलदार तहसीलदार (राजस्व) जिला श्रीगंगानगर रायसिंहनगर 2020-2021 211 2328/- 7 तहसील	